उत्तर प्रदेशीय जेलों के शासन-प्रबन्ध

की

सन् १९५८ ई०

की

रिपोर्ट

लेखक—

डा० चन्द्रिका प्रसाद टण्डन, जेलों के इन्सपेक्टर जेनरल, उत्तर प्रदेश



मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९६१

[मूल्य ८५ नया पैसा

विषय-सूची

प्रेषक,

डा० चन्द्रिका प्रसाद टंडन, प्रधान कारागार निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग (कारागार), लखनऊ।
संख्या ९४४३/एच-४८-जी-एस-२, दिनांक १० मार्च, १९५९ ई०

श्रीमान्,

मैं उत्तर प्रदेश की जेलों के शासन प्रवन्ध पर सन् १९५८ की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

[नोट—कोष्ठकों में गत वर्ष की संख्यायें दी गई हैं]

जेल विभाग का कार्यभार पूर्ण वर्ष मेरे हाथ में रहा।

आलोच्य वर्ष में जेलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कैदियों को खुले शिविरों में रखने की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व और जनोपयोगी रचनात्मक कामों में लगाये जाने की प्रणाली को नानक सागर, जिला नैनीताल तथा चुर्मा मारकुन्डी, जो चुर्क के निकट जिला मिर्जापुर में है, जारी रखा गया। यहां पर काम पर लगाये जाने वाले बन्दियों ने अपने दिन प्रतिदिन के काम और कमाई को भलीभांति कायम रखा।

अम्बर चर्खों से सूत की कताई तथा खादी की बुनाई का कार्य केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, फतेहगढ़ तथा जिला जेल, मेरठ व लखनऊ में होता रहा। इस वर्ष इस योजना को चार अन्य जेलों में भी प्रसारित किया गया और इसके अन्तर्गत १२० अम्बर चर्खे सूत कातने के काम में लाये गये। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ ने पचास कैदियों को अम्बर चर्खा इन्स्ट्रक्टर की ट्रेनिंग देकर स्वीकार किया ताकि वह अन्य जेलों के कैदियों को ट्रेनिंग दे सकें। यह ५० कैदियों की ट्रेनिंग मेरठ जिला जेल में प्रारम्भ कर दी गई।

एक जेल एडवाइजरी बोर्ड, जेल उद्योग जांच समिति की सिफारिश पर जेलों में विभिन्न नये उद्योगों को चलाने तथा उसकी प्रगति की देखरेख के हेतु, नियुक्त किया गया।

सरकार ने निम्नलिखित नये विभिन्न उद्योगों को जेलों में चलाने के लिये स्वीकृति दान की—

१—पेन्सिल बनाना—किशोर सदन, बरेली।
२—कांच के मोती बनाना—नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
३—रंगाई, ब्लीचिंग तथा कैलिको की छपाई—फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार।
४—खेल के साधारण सामान बनाना—बरेली केन्द्रीय कारागार।
५—साबुन तथा फिनायल बनाना—केन्द्रीय कारागार, आगरा।
६—प्लम्बरिंग—केन्द्रीय कारागार, नैनी।
७—सेरीकल्चर—जिला कारागार, देहरादून।
८—वार्धा टाइप कोल्हू से सरसों का तेल निकालना—जिला जेल, मेरठ।

आलोच्य वर्ष में बन्दियों का सामान्य प्रशासन संतोषजनक रहा। शिक्षा, नैतिक भाषणों तथा आमोद-प्रमोद इत्यादि द्वारा बन्दियों का चरित्र-संगठन करना चालू रखा गया। बन्दियों ने धार्मिक तथा राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने में अति भाव दिखाया। अधिकांश जेलों में नाटक भी खेले गये।

बन्दियों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहा और अनुशासन को भलीभांति कायम रखा गया।

अध्याय १

न्याय सम्बन्धी

सामान्य सारांश--जन-संख्या--सम्पूर्णानन्द शिविरों को मिलाकर कुल जेलों में चिकित्सालयों और निगरानी की कोठरियों को छोड़कर कुल ३६,००१ (३५,९८७) बन्दियों के लिए निवास-स्थान था। पहली जनवरी सन् १९५८ की जन-संख्या ३४,६७२ थी और ३१ दिसम्बर, १९५८ को बढ़कर ३६,२६३ हो गई। दैनिक औसत संख्या ३५,५१७ रही जबकि सन् १९५७ में ३५,१५१ थी।

दण्ड-प्राप्त कैदियों का दाखिला और निपटारा

वर्ष के प्रारम्भ में जेलों में २३,२४९ (२४,६८२) पुरुष और १६० (१५५) स्त्री कैदी थे। वर्ष में जेल भेजे जाने वाले कैदियों में (अन्य राज्यों से आये हुये कैदियों सहित) ६९,२२३ (५७,१५४) पुरुष और ७०८ (६१०) स्त्रियां थीं। जेलों में दंड-प्राप्त कैदियों की दैनिक औसत संख्या २३,८८२ (२३,१८५) थी। वर्ष में कुल १,०९,१०५ (९८,५२५) पुरुष और ९४७ (९२४) स्त्रियों अथवा १,१०,२५२ (९९,३४९) कुल दन्ड-प्राप्त कैदियों का निपटारा किया गया। इस संख्या में १६,८३३ (१६,६८९) दन्ड प्राप्त पुरुष और ७९ (५९) स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, जो राज्य की एक जेल से बदल कर दूसरी जेल में ले जाई गई थीं। नक्शा सं० १

इस वर्ष दण्ड-प्राप्त कैदियों का निपटारा इस प्रकार किया गया:--

अन्य जेलों में भेजे गये		
(क) कारावास का दन्ड भोगने के लिये	...	१८,२२१
(ख) आजन्म कारावास का दन्ड भोगने के लिये	..	८३६
वर्ष में छोड़े गये		
(क) अपील करने पर	...	४,३६९
(ख) दण्ड की अवधि समाप्त होने पर	...	३७,४१०
(ग) छूट नियमों के अधीन	...	१५,२९०
सरकार के आदेश से छोड़े गये		
(क) बीमारी के कारण	...	१२२
(ख) अन्य कारणों से, जैसे बुढ़ापा, अस्वस्थता, रिवाजिंग बोर्ड की सिफारिश, प्रोवेशन बोर्ड, १४ वर्षीय नियमों के अधीन अथवा धारा ४०१ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत मर्सी में	...	७,९४२
पागल खाने भेजे गये	...	१८
निकल भागे	...	१३
प्राण दन्ड दिया गया	..	३१
मृत्यु को प्राप्त हुये	...	१००
योग	...	८४,३५२
वर्ष के अन्त में शेष रहे	..	२५,७००
वृहत् योग	..	१,१०,०५२

उच्च श्रेणी के दन्ड-प्राप्त कैदी

पहली जनवरी को उच्च श्रेणी के दंड-प्राप्त कैदियों की संख्या ४७ थी। वर्ष के दौरान में २१८ कैदी दाखिल हुये और ३१ दिसम्बर को ५४ शेष रहे।

दंड-प्राप्त कैदियों की आयु और शिक्षा

(क) आयु--वर्ष में दाखिला आयु के अनुसार इस प्रकार थी--

नक्शा सं० २

१६ वर्ष से कम	...	७२१
१६ से २१ वर्ष तक	...	८,५७९
२२ से ३० वर्ष तक	...	२६,९१२
३१ से ४० वर्ष तक	..	२०,२००
४१ से ६० वर्ष तक	..	११,३४६
६० वर्ष से ऊपर की आयु के	...	१,८८४

(ख) शिक्षा--साक्षर और निरक्षर कैदियों के दाखिले का प्रतिशत अनुपात २६·९३ (२३·७६) और ७३·०७(७६·२४) रहा। इस वर्ष में ७१,५४० (७०,५८२) कैदियों ने शिक्षा पाई और इस कार्य के लिये ९८,७४६ (१,२४,०९६) पुस्तकें दी गई।

जेल में बन्दियों के सुधार-कार्य की उन्नति के लिये सभी संभव उपाय किये गये।

शारीरिक, नैतिक, मासिक और सामाजिक उन्नति

गणतन्त्र और स्वतन्त्रता दिवस बड़े समारोह के साथ सभी विभागीय संस्थाओं में मनाये गये। राष्ट्रीय समारोहों को मनाने में बन्दियों ने उत्कट प्रेम प्रदर्शित किया।

बरेली किशोर सदन के ड्रामा क्लब के व बैन्ड पार्टी के लड़कों ने १४ नवम्बर सन् १९५८ को प्रधान मंत्री के जन्म-दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर "साकेत" ड्रामा खेलने के लिये राष्ट्रपति जी ने २५० रु० का पुरस्कार लड़कों को दिया।

५८३ कैदियों को प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा दी गई और इनमें से ७१ कैदियों को इस विषय में विशेष योग्यता के प्रमाण-पत्र भी दिये गये।

जलों में प्रार्थना करने के सम्बन्ध में शिक्षाप्रद एवं सुधार करने वाले गानों व प्रार्थनाओं का 'शतक प्रतीक' नामक पुस्तिका में संग्रह कर जेलों में वितरित किया गया।

पुनर्वासन तथा सुधार का कार्य किशोर सदन, बरेली तथा रिफामटरी स्कूल, लखनऊ में बराबर होता रहा।

किशोर सदन, बरेली

वर्ष के प्रारम्भ में सदन में १४७ लड़के थे। राज्य की जेलों से बदल कर लड़के और आये। वहां की दैनिक औसत संख्या १५० रही। यह संस्था लड़कों को दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी, बुनाई, चमड़े का काम, कृषि, बैन्ड आदि की व्यावसायिक शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार देती है। इस वर्ष किशोर सदन में कुल १०९ लड़कों को शिक्षा दी गई।

२१ लड़कों को जेल से बाहर काम करने का अवसर दिया गया और उनकी कुल कमाई १२,७१६ रु० ७७ नये पैसे हुई। अन्य विभिन्न उद्योगों में शिक्षित लड़कों ने भी कुल ४१,३१६ रु० ५ नये पैसे कमाये।

आलोच्य वर्ष में ८ लड़कों को होम लीव दी गई।

रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ

वर्ष के प्रारम्भ में यहां पर ४७ लड़के थे। ग्यारह लड़के वर्ष के दौरान में और दाखिल हुये और इस प्रकार इनकी दैनिक औसत संख्या ४८ रही। लड़कों को यहां उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार दर्जीगीरी, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, कृषि और बैन्ड आदि की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। यहां ५९ लड़कों ने शिक्षा पाई और उन्होंने ९०१ रु० ४१ न० पै० कमाये।

रिफार्मेटरी स्कूल बैन्ड के लड़कों की बाहर की कुल कमाई ८४० रु० हुई।

नारी बन्दी निकेतन

नारी दन्ड-प्राप्त बन्दियों को आदर्श जेल के एक अलग कक्ष में, जिसे "नारी बन्दी निकेतन" के नाम से पुकारा जाता है, रखा जाता है। उनको विभिन्न उद्योगों जसे दर्जीगीरी, नेवाढ़ बुनना, मोजे बुनना, बुनाई, किरोशिया तथा कशीदे आदि की शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें बागबानी और तरकारी उपजाने के काम पर भी लगाया गया।

दन्ड-प्राप्त स्त्री बन्दियों की शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध आलोच्य वर्ष में भी किया गया। लेडी डाक्टर द्वारा स्त्री बन्दियों को हाईजीन के बारे में लेक्चर्स दिये गये।

यहां स्त्री बन्दियों के बच्चों की भी भली-भांति देखरेख की गई।

इस वर्ष जेलों में आने वाले अल्पवयस्क अपराधियों की संख्या और आयु निम्नलिखित थी :--

दण्डों का प्रकार	१४ वर्ष से कम आयु वाले		१५ वर्ष से २१ वर्ष की आयु वाले		२२ से २५ वर्ष की आयु वाले		योग	
	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री	पु०	स्त्री
१--अनभ्यस्त--								
(क) एक वर्ष से कम दन्ड पाने वाले	१२३	...	५८९१	५५	७४१९	६७	१३४७३	१२२
(ख) एक से दो वर्ष तक का दन्ड पाने वाले	...	..	१५३५	१०	३२२६	१४	४७६१	२४
(ग) दो वर्ष से अधिक का दन्ड पाने वाले	४	..	५५८	६	१६३८	८	२२००	१४
२--अभ्यस्त--								
(क) एक वर्ष से कम दन्ड पाने वाले	..	..	४१३	१	८३९	१	१२५२	२
(ख) एक से दो वर्ष तक का दन्ड पाने वाले	५२	..	१९८	..	९२३	३	११७३	३
(ग) दो वर्ष से अधिक का दन्ड पाने वाले	..	..	३२८	...	२८२	५	६१०	५
योग ..	१७६	..	८९२३	७२	१४३२७	९८	२३४२९	१७०

नोट--एक वर्ष से कम अवधि का दन्ड पाने वाले अनभ्यस्त जुवेनाइल अपराधियों संख्या ६०६९ थी।

दन्डों के प्रकार

नक्शा सं० ३ निम्नलिखित तालिका में दंडों के प्रकार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है—

प्रकार	१९५७	प्रतिशत	१९५८	प्रतिशत
१—साधारण कारावास का दन्ड पाने वाले कैदी	४२६६	७.४०	५९०५	८.४८
२—कठोर कारावास पाने वाले कैदी	५२१४०	९०.३७	६२१६७	८९.२६
३—कठोर कारावास के साथ तनहाई का दन्ड पाने वाले कैदी	..	..	..	..
४—कठोर कारावास के साथ कोड़ों का दन्ड पाने वाले कैदी	१	..	..	..
५—आजन्म कारावास का दन्ड पाने वाले कैदी	९९४	१.७२	१२३०	१.७६
६—प्राणदन्ड पाने वाले कैदी	२९२	.५१	३४०	.५०
योग ..	५७,६९३	१००.००	६९६४२	१००.००

इन कैदियों में से ३१ को फांसी दी गई, शेष का दन्ड या तो आजन्म कारावास में परिणत किया गया अथवा उनका मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन रहा।

अभ्यस्त कैदियों की संख्या

नक्शा सं० ४ इस वर्ष जेलों में आने वाले ९६,६४२ (५७,६९३) दन्ड-प्राप्त कैदियों में से २,५९७ (३,२६९) अथवा ३.७३ (५.६६) प्रतिशत अभ्यस्त कैदी थे।

जेलों से भाग निकलने वाले और पुनः पकड़ लिये जाने वाले कैदी

नक्शा सं० ५ इस वर्ष १२(६) दन्ड-प्राप्त कैदी जेलों के अन्दर से और ८ (१४) सम्पूर्णानन्द शिविरों से निकल भागने वाले ४(८) कैदियों सहित कैदी जेलों के बाहर से निकल भागे।

शून्य (३) विचाराधीन कैदी भी इस वर्ष पुलिस संरक्षण से निकल भागे जबकि वह एक जेल से दूसरी जेल को तबादले में ले जाये जा रहे थे।

इस वर्ष जो कैदी निकल भागे उनमें से ७ (१०) और १ (३) उन दंड-प्राप्त कैदियों में से, जो गत दस वर्षों में निकल भागे थे, पुनः पकड़ लिये गये।

अपराध और दन्ड

इस वर्ष कैदियों ने कुल जिनमें से १ (३) मामलों में फौजदारी अदालतों और शेष में जेलों के सुपरिन्टेन्डेन्टों द्वारा कार्यवाही की गई। नक्शा सं०

अभ्यस्त कैदियों का आचरण--कुल जेल दंडों अर्थात् ६,६६५ (७,५०२) में से ५५५ (६७५) अथवा ९·० (८·००) प्रतिशत दंड अभ्यस्त कैदियों को दिये गये।

जेलों में विचाराधीन कैदी

वर्ष के प्रारम्भ में ११,२३७ (११,९५०) विचाराधीन कैदी थे और वर्ष के बीच इस प्रकार के १,२१,२०८ (१,११,९६०) कैदी और आये जिससे इनकी कुल संख्या १,३२,४४५ (१,२३,९१०) हो गई। इनमें से ९१,९७८ (८५,८२८) अदालत से रिहाई पर छोड़ गये, २२,३४५ (१९,६०६) को दंड मिला, ७,५५६ (७,२११) की बदली कर दी गई, एक (शून्य) निकल भागा और ३९ (२८) की मृत्यु हो गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में १०,५२६ (११,२३७) शेष रहे। इनकी दैनिक औसत संख्या ११,६०१ (११,९४६) रही। नक्शा सं० १८

दीवानी कैदी

वर्ष के प्रारम्भ में २६ (२१) दीवानी कैदी थे और वर्ष के दौरान में ४२० (२५३) कैदी दाखिल हुये। इस प्रकार इनकी संख्या ४४६ (२७४) हो गई। इनमें ४०९ (२४८) को छोड़ दिया गया और वर्ष के अन्त में ३७ (२६) शेष रहे। इनकी दैनिक औसत संख्या ३४ (१९) थी।

जेलों में निवास-स्थान

इस वर्ष चिकित्सालयों और निगरानी की कोठरियों को छोड़कर जेलों में कुल स्थायी निवास-स्थान ३३,२७४ (३३,२६०) कैदियों के लिये था। इसके अतिरिक्त सम्पूर्णानन्द शिविरों में कुल २,७२७ बन्दियों के लिये अस्थायी निवास-स्थान था।

अध्याय २

आर्थिक

व्यय--कैदियों पर पहरा रखने और उनके भरण-पोषण पर इस वर्ष कुल व्यय १,२२,८३,४८५ रु० हुआ जबकि सन् १९५७ में यह व्यय १,१८,६७,३०२ रु० ६९ न० पैसा हुआ था । प्रति कैदी औसत व्यय ३४५ रु० ८५ न० पैसा हुआ जबकि गत वर्ष यह व्यय ३३७ रु० ६१ नये पैसे हुआ था। अवरुद्ध उच्च श्रेणी के कैदियों एवं विचाराधीन कैदियों पर कुल व्यय ५८,०२६ रु० (२३,७५२ रु०) हुआ और प्रति कैदी औसत व्यय ७६० रु० २९ नये पैसे हुआ जबकि गत वर्ष यह व्यय ५८७ रु० ३१ नया पैसा हुआ था। साधारण प्रकार के कैदियों, जिनमें कि विचाराधीन कैदी भी सम्मिलित हैं, का कुल व्यय १,२२,४५९ रु० हुआ और प्रति कैदी औसत व्यय ३४६ रु० ३८ नया पैसा हुआ जबकि पिछले वर्ष कुल व्यय ३३६ रु० ९३ नया पैसा हुआ था।

बजट के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय में जो विशेष घटा-बढ़ी हुई वह नीचे दी जाती है :--

कर्मचारीवर्ग पर व्यय--कुल व्यय ३१,२९,१८० रु० (२९,२५,१७९ रु०) हुआ। व्यय में वृद्धि का कारण वार्षिक वेतन वृद्धि, एकाउन्टेन्टों में अमले में वृद्धि का होना, आठ घंटे की ड्यूटी स्कीम के अन्तर्गत वार्डरों के अमले में वृद्धि तथा नये जेल उद्योगों के सम्बन्ध में और अधिक टेक्निकल आदमियों की नियुक्ति का किया जाना है।

भोजन पर व्यय--कुल व्यय गत वर्ष में ५५,७६,७५३ रु० की अपेक्षा इस वर्ष ५६,९५,६४९ रु० हुआ। प्रति बन्दी औसत व्यय १६० रु० ५१ नये पैसे (१५८ रु० ७३ नया पैसा) हुआ। व्यय में वृद्धि का कारण जेल की जन-संख्या में वृद्धि का होना तथा खाद्यान्नों की कीमतों का बढ़ जाना आदि हैं।

चिकित्सालय पर व्यय--कुल व्यय ५,४४,८७६ रु० हुआ जबकि गत वर्ष ५,३८,११० रु० हुआ था। व्यय में में वृद्धि का कारण जेल जन-संख्या का बढ़ जाना, फ्ल्यू के रोग का चलना तथा चिकित्सालय सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का हो जाना है।

कपड़ों और बिस्तरों पर व्यय--कुल व्यय ८,१६,०२४ रु० हुआ जबकि गत वर्ष ७,६३,५६२ रु० हुआ था। व्यय में वृद्धि का कारण जेल जन-संख्या में खाद्यान्दोलन के कारण वृद्धि का हो जाना था।

स्वच्छता पर व्यय--कुल व्यय गत वर्ष के २,४९,६०१ रु० की अपेक्षा २,५१,८६७ रु० हुआ। व्यय में वृद्धि का कारण डिसइन्फेक्टेन्ट्स का बढ़े हुये मूल्य में खरीदा जाना और जेल जन-संख्या में वृद्धि हो जाना है।

विविध व्यय--कुल व्यय ५,८४,३३८ रु० हुआ जबकि गत वर्ष ५,५८,५११ रु० हुआ था। व्यय में वृद्धि का कारण विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का होना, आठ घंटे की ड्यूटी स्कीम के अन्तर्गत वार्डरों के बढ़े हुये अमले के लिये वर्दी की योजना का किया जाना और चारे की कमी के कारण जेलों द्वारा अधिक मात्रा में भूसा बाजार से खरीदा जाना आदि हैं।

अन्न-संग्रह--केन्द्रीय खाद्यान्न क्रय-समिति के सुझावानुसार खाद्यान्नों को सहकारी समितियों के द्वारा खरीदा गया।

दंड-प्राप्त कैदियों को काम पर लगाये जाने का परिणाम

कैदियों द्वारा कुल कमाई अथवा शुद्ध सम्पूर्ण लाभ---गत वर्ष के ९,४०,१०५ रु० की अपेक्षा इस वर्ष ७,३३,५१४ रु० हुआ। प्रति कैदी औसत लाभ गत वर्ष के ४१ रु० ५४ न० पैसा की अपेक्षा इस वर्ष ३२ रु० ०९ न० पैसे हुआ। नक्शा १२(अ

इस वर्ष जेलों में बनाई और बेची गई वस्तुओं की कुल लागत निम्नलिखित थी :--

		रु०
(अ) जेलों को कच्चे माल की लागत पर	..	११,४८,५८५·७०
(ब) अन्य सरकारी विभागों को ६·२५ प्रतिशत डिस्काउन्ट पर	..	९,८४,६९२·६३
(स) सार्वजनिक जनता में बेचा गया	..	२,२४,७१९·०३

आलोच्य वर्ष में यू० पी० जेल्स डिपो ने जेल निर्मित वस्तुओं को १,१५,०४२ रु० ७६ न० पै० में बेचा जबकि गत वर्ष ७३,६५८ रु० ११ न० पै० को बेचा गया था।

दंड-प्राप्त कैदियों को काम पर लगाया जाना

साधारण कारावास का दंड पाने वाले कैदियों की दैनिक औसत संख्या ३६३ (२८२) थी और कठोर कारावास का दंड पाने वाले कैदियों की दैनिक औसत संख्या २२,३२३ (२२,६३४) थी। औसतन १२(१३) प्रतिशत कैदी प्रिजन आफिसर बनाये गये। जेल सेवा कार्य जैसे रसोइया और अस्पताल के अटेन्डेन्ट इत्यादि के काम पर औसतन ४,२२०। (४,१४३) तथा ६,७१८ (७,७११) कैदियों को सामान बनाने के काम पर लगाया गया नक्शा सं ११

लखनऊ जिला जेलस्थित उत्तर प्रदेशीय स्वास्थ्य विभाग के पोटाश के कारखाने में कैदियों को काम पर लगाया गया और उन्होंने ११२ रु० ५० नये पैसे की मजदूरी कमाई।

जेल के अन्दर रहते हुये ही बाहर के लोगों की भांति कमाई द्वारा स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनने की योजना को आदर्श जेल, लखनऊ के बन्दियों में जारी रखा गया। औसतन १५०.७२ कैदियों को जेल कारखाने, बाग, कृषि और रंगाई व तेल के कारखाने आदि में काम पर लगाया गया और वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में सरकार को अपने भरण-पोषण के पूरे व्यय को अदा करने के बाद उन्होंने १६,६२१ रु० ७३ न० पैसे कमाये।

लखनऊ जिला जेल में उपयोगी कार्यों पर विचाराधीन बन्दियों को काम पर लगाये जाने की प्रणाली को चालू रखा गया और इसे निम्नलिखित जेलों, जहां पर कार्य की सुविधायें उपलब्ध थीं, में भी प्रसारित किया गया :--

(१) जिला कारागार, आगरा		...	कुर्सियों की बुनाई व सूत की कताई
(२) ,,	सीतापुर	...	,,
(३) ,,	मेरठ	...	,,
(४) ,,	वाराणसी	...	,,
(५) ,,	उन्नाव	...	,,
(६) केन्द्रीय कारागार, नैनी		...	लिफाफे बनाना व सूत की कताई

खुले शिविरों में बन्दियों का रक्खा जाना

सम्पूर्णानन्द शिविरों की प्रणाली, जिसका उद्देश्य कैदियों को खुले शिविरों में रखकर जन-साधारण की भांति राष्ट्रीय महत्व एवं जनोपयोगी रचनात्मक कार्यों पर स्वतन्त्र रूप से मजदूरी कमाने की योजना पर लगाया जाना; नानक सागर, जिला नैनीताल व सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क के समीप घुर्मा मारकुन्डी, जिला मिर्जापुर में सफलतापूर्वक चालू रखा गया। जिला पीलीभीत-स्थित मझोला स्टेशन के समीप बन्दियों का एक सब-कैम्प खोला गया और यहां के कैदियों को एक छोटी नहर के खोदने के काम पर लगाया गया। यहां पर बन्द जेलों के नियमों के स्थान पर कैदियों के सम्मान को रखते हुये उनसे काम लेने का लक्ष्य है। इसे कैदियों द्वारा पूरे तौर से निभाया जाता है और उनमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की झलक दिखायी देती है और वह किसी प्रकार से भयभीत नजर नहीं आते। सन् १९५८ में नानक सागर के शिविरवासियों ने ३,५४,४०१ रु० ६९ न० पै० की मजदूरी कमाई और उन्होंने अपने भरण-पोषण के लिये राज्य सरकार को १,८०,७४४ रु० १२ न० पै० अदा किया।

घुर्मा मारकुन्डी के शिविरवासियों ने आलोच्य वर्ष में ४,८७,१२४ रु० ७६ न० पै० मजदूरी में कमाये और राज्य सरकार के अपने भरण-पोषण के लिये २,५३,५३९ रु० अदा किये।

नवम्बर सन् १९५७ में ४९ स्टार क्लास के बन्दियों के एक जत्थे को एक वर्ष की पैरोल पर तराई राजकीय फार्म, फूलबाग, जिला नैनीताल में लगाने के हेतु छोडा गया। उन्हें फार्म में विभिन्न कार्यों पर लगाया गया और उन्होंने स्वतन्त्र मजदूरों की दर से मजदूरी कमाई। अपने रहने और भरण-पोषण का प्रबन्ध भी उन्होंने स्वयं किया। सरकार ने तराई राजकीय फार्म, फूलबाग में काम करने वाले बन्दियों को अपने साथ अपने बालबच्चों को रखने की भी अनुमति दी परन्तु यह प्रतिबन्ध रखा कि यदि फार्म अधिकारी उनके रहने के लिये पृथक् स्थान का प्रबन्ध कर सकें तथा बन्दी उनके भरण-पोषण के लिये पर्याप्त कमाई कर सके। इस सुविधा का चार बन्दियों ने लाभ उठाया। पैरोल पर छूटने वाले इन कैदियों का आचरण सन्तोषजनक रहा तथा उनके कार्य की फार्म अधिकारियों ने सराहना की। उनकी पैरोल की अवधि के समाप्त होने पर ४९ओं कैदियों को रिहा किया गया। यह एक नवीन प्रयोग था जिससे पैरोल पर छूटने वालों को स्वतन्त्र वातावरण में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उनमें आत्मगौरव के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर होने की भावना जाग्रत हो गई। अब ५० बन्दियों के अन्य जत्थे को इसी प्रकार के प्रयोग के लिये चुना गया है।

जेल उद्योग

उन्नाव जिला कारागार ने ४,१४,७२९ वस्त्रों के निर्माण के लिये पुलिस, डाक, वन, एक्साइज तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे आदि विभागों से आर्डर प्राप्त किये और उन्हें समय से सम्पन्न किया। फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार ने भी ५,८७,३३७ रु० की लागत के तम्बुओं के निर्माण के लिये आर्डर प्राप्त किये और समय से सम्पन्न किये। विभाग ने नेवाड़, सूत की रस्सी, चिकों, डाक के थैलों, सूत की पट्टियों, दरी, टाट-पट्टियों तथा मेज-कुर्सी आदि के लिये विभिन्न ठेके स्टोर्स पर्चेज विभाग से प्राप्त किये।

गत वर्षों की भांति जेलों ने स्थानीय एवं जिला प्रदर्शिनियों में भाग लिया और जेल निर्मित वस्तुओं को बेचा अथवा उनका प्रदर्शन किया।

जेल-कृषि और दुग्धशालायें

आलोच्य वर्ष की वर्षा ऋतु में वर्षा समान रूप से न हुई तथा शरद ऋतु में पानी बिल्कुल नहीं बरसा, इसके विपरीत कुछ जिलों में वर्षा ऋतु के अन्त में पानी अधिक बरसा और इस तरह वर्षा ऋतु का समय भी बढ़ गया। इन मौसमी खराबियों के कारण तरकारियों और गल्ले की उपज में कमी हुई। जेलों में सिंचाई के साधनों की कमी का मसला इस वर्ष भी सामने रहा। कुछ जेलों में विद्युत पम्पों, पसिम हीलो, कुंओं में बोरिंग का होना तथा अधिक संख्या में बैलों की योजना का किया जाना आदि परमावश्यक है।

इस वर्ष ४६ चौपाये मर गये और १७ का अन्य प्रकार से निस्तारण किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल पांच बैल खरीदे गये। उपरोक्त बाधाओं के होते हुये भी जेलों में तरकारियों व गल्ले आदि तथा दूध की उपज निम्नलिखित मात्रा में हुई :—

नाम	वर्ष १९५७	वर्ष १९५८
	मन	मन
१—तरकारियां	८७,९६६	१,२७,८०७
२—चारा	४३,१२३	२८,२०४
३—अनाज और दालें	४,७५४	३,६३०
४—दूध (केवल ९ जेलों पर)	२,०२८	२,२००

आवश्यकता से अधिक तरकारियों, दुग्धशालाओं व अन्न की उपज तथा पशुओं की बिक्री से राज्य को १५,२९२ रु० की आय हुई जबकि गत वर्ष १०,८५६ रु० की आय हुई थी।

विभिन्न प्रदर्शिनियों में अति उत्तम प्रकार की तरकारियां को उपजाने के उपलक्ष्य में विभिन्न जेलों ने ११४ पुरस्कार प्राप्त किये।

बन्दियों और अमले के लोगों की जानकारी और शिक्षण के लिये मासिक एग्रीकल्चरल आपरेशन कलेन्डरों व कम्पोस्ट व हरी खाद तैयार करने तथा गर्मी की जुताई आदि के बारे में लेख जेलों को भेजे गये।

प्रति कैदी औसत व्यय

दियों के भरण-पोषण तथा पहरा रखने आदि पर कुल व्यय १,२२,८३,४८५ रु० (१,१८,६७,३०२ रु० ६९ न० पै०) अथवा प्रति कैदी औसत व्यय ३४५ रु० ८५ न० पै० (३३७ रु० ६१ न० पै०) हुआ तथा कैदियों को काम पर लगाये जाने के फलस्वरूप नकद लाभ ७,३३,५१४ रु० (९,४०,१०५ रु०) अथवा २० रु० ६५ न० पै० (२६ रु० ४६ न० पै०) प्रति कैदी के हिसाब से हुआ। सरकार का वास्तविक व्यय १,१५,४९,९७१ रु० (१,०९,२७,१९७ रु०) अथवा प्रति कैदी के हिसाब से ३२५ रु० २० न० पै० (३११ रु० १५ न० पै०) हुआ।

नकशा सं १३

अध्याय ३

स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े

नक्शा सं० ब

मुक्ति के समय कैदियों की दशा––इस वर्ष कारावास से मुक्त हुये दण्ड-प्राप्त ६५,१३३ (५७,४५७) कैदियों में से २७,६७४ अथवा ४२·४९ (४६·९२) प्रतिशत का भार बढ़ा। ३·३१ (३·९९) प्रतिशत का भार घटा और ५४·२ (४९·०९) प्रतिशत का भार यथास्थित रहा।

जेलों में भरती और छोड़े जाने के समय कैदियों के स्वास्थ्य की दशा नीचे दी हुई तालिका में दिखायी गई है :––

	१९५७		१९५८	
	भरती के समय प्रतिशत	मुक्ति पर प्रतिशत	भरती के समय प्रतिशत	मुक्ति पर प्रतिशत
अच्छा	८९·००	९२·७२	८९·६९	९२·५३
साधारण	१०·३७	६·९३	९·६४	७·०४
खराब	०·६३	·३५	·६७	·४३
	१००·००	१००·००	१००·००	१००·००

अवरुद्ध बन्दी

इस वर्ष जेलों में कोई भी अवरुद्ध बन्दी नहीं था।

निगरानी की कोठरियों को छोड़कर जेलों के चिकित्सालयों में कुल निवास-स्थान इस प्रकार था :––

बारिक	पुरुष	२९४८
	स्त्री	७५
योग	..	३०२३
कोठरियां	पुरुष	१६४
	स्त्री	..
योग	..	१६४

बीमारी और मृत्यु

अस्पतालों में कुल दाखिले की संख्या २३,३५९ (२५,५९४) थी। सभी श्रेणी के बीमार कैदियों की दैनिक औसत संख्या ६१९.६२ (६४६.९८) थी। नक्शा सं० १४

इस वर्ष कुल मृत्युओं की संख्या १३९ (१२२) थी। निम्नलिखित जेलों में मृत्युओं का अनपात औसत से अधिक रहा:--

जेलों के नाम	कैदियों की दैनिक औसत संख्या	रोगियों की दैनिक औसत	मृत्युओं की कुल संख्या	मृत्युओं का प्रति सहस्र अनुपात
आदर्श कारागार, लखनऊ	९३८	१२.३३	६	६.४
जिला कारागार, कानपुर	८८३	६.८४	५	५.६
जिला कारागार, मेरठ	७५४	१५.२६	५	६.६
जिला कारागार, बरेली	९०१	७.६३	६	६.६
जिला कारागार, अलीगढ़	७६४	८.१९	५	६.५
जिला कारागार, मुरादाबाद	७४५	९.०४	७	९.४
जिला कारागार, सुल्तानपुर	६०३	१४०.६४	५	८.२
जिला कारागार, गोंडा	६००	१२.७९	५	८.३
जिला कारागार, वाराणसी	५२३	७.०९	१०	१९.१

संक्रामक रोग

इस वर्ष विभिन्न जेलों में कुल २१० कैदियों को भांति-भांति के संक्रामक रोग हुये और उनमें से ३ की मृत्यु हो गई।

निम्नलिखित तालिका में गत ३ वर्षों का प्रति सहस्र मृत्युओं का अनुपात और बीमारी आदि के कारण छोड़े गये कैदियों की संख्या दी गई है:--

वर्ष	मृत्युओं की कुल संख्या	प्रति सहस्र मृत्युओं का अनुपात	छोड़े जाने वाले कैदियों की संख्या			
			बीमारी के कारण	वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण	योग	मृत्यु होने वालों का दैनिक औसत संख्या से अनुपात
१९५६	१०५	२.९	३०	१०	४०	.११
१९५७	१२२	३.४	२७	२३	५०	.१४
१९५८	१३९	३.९	९१	३१	१२२	.५१

मुख्य बीमारियों के कारण दन्ड-प्राप्त कैदियों की अस्पताल में भरती और मृत्यु

शा सं० ५ बीमारियों के मुख्य कारण इस प्रकार थे। जाड़ा बुखार ३,७६३; फोड़ा फुन्सी तथा सब प्रकार के खुले पीनदार घाव १,७७२; स्वांस सम्बन्धी रोग १,४७७; पेचिस ७८९; दस्त ५६९; निमोनियां १०८; खून की कमी और कमजोरी ४९८; तपेदिक ४७९; हैजा २ और अन्य विविध बीमारियां ८,०१९ दन्ड-प्राप्त कैदियों को हुईं।

अन्य जेलों के साथ-साथ सम्पूर्णानन्द शिविरों में जहां तक संभव हो सका, मलेरिया से बचने के लिये सभी आवश्यक साधनों से बैरकों में डी० डी० टी० का छिड़काव बराबर किया गया तथा पैलोड्रीन व अन्य दवाइयां बन्दियों को दी गईं।

मृत्युओं के मुख्य कारण तथा उनकी संख्यायें इस प्रकार थीं :--

पेचिस से १; जाड़ा बुखार से १; क्षयरोग से १३; खून की कमी तथा कमजोरी के कारण ९; निमोनिया से ७ तथा स्वांस सम्बन्धी व अन्य सामान्य बीमारियों से ६७।

गत वर्ष की संख्याओं से तुलना करते हुये इस वर्ष चिकित्सालयों में भरती किये गये कैदियों की संख्या और प्रमुख बीमारियों से उनकी मृत्यु संख्या नीचे दी जाती है :--

--	भरती किये गये रोगियों की संख्या		मृत्युयें	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
हैजा	२	२	०	०
दस्त	६५६	५६९	३	२
मलेरिया	३,२९३	३,७६३	४	१
तपेदिक	४५३	४७९	१५	१३
निमोनियां	१०६	१०८	९	७

कोढ़---रायबरेली जिला जेल में, जो कि कोढ़ी बन्दियों का केन्द्र जेल है वर्ष के प्रारम्भ में ११९ कोढ़ी कैदी थे। ८६ कोढ़ी बन्दी इस वर्ष भरती हुये। ८१ कोढ़ी कैदी वर्ष के दौरान में छोड़े गये और इस तरह से १२४ कोढ़ी कैदी वर्ष के अन्त में शेष रहे।

सल्फोन डी० टी० एस० (डेप्सोन) १०० एम० जी० एम० उचित मात्रा में रुग्ण कैदियों को दिया गया। हाइड्रो कापर्स तेल भी सभी बीमारों को लगाया गया।

क्षय---सन् १९५८ के समाप्त होने पर सुल्तानपुर जिला जेल के क्षय निवारण चिकित्सालय को बने हुये ३९ वर्ष पूरे हुये। चिकित्सालय में ११८ बीमार बन्दियों के लिये निवास-स्थान हैं। वर्ष के प्रारम्भ में इस चिकित्सालय में १२० रोगी थे तथा वर्ष के दौरान में १८१ नये रोगी कैदी और दाखिल हुये और इस प्रकार इनकी कुल संख्या बढ़कर ३०१ हो गई। इनमें से ५ (६) की मृत्यु हो गई और १६० (१२३) को छोड़ा गया और इस प्रकार वर्ष के अन्त में १३६ (१२०) कैदी शेष रहे।

नोट--५० (७) पूर्णरूप से अच्छे हो गये, ६२ (२६) की दशा में बहुत कुछ सुधार हुआ और २२ (६५) रोगियों की दशा में थोड़ा सा सुधार हुआ तथा १८ (१७) की दशा में कोई सुधार न हुआ। ८ (८) की दशा चिन्ताजनक रही। क्षय रोग ग्रसित कैदियों की दैनिक औसत जन-संख्या १२६.९८ थी।

एक्स-रे विभाग--जिला जेल, सुल्तानपुर के एक्स-रे विभाग में एक्स-रे कार्य के परिणामस्वरूप इस वर्ष १,३२६ रु० ५ न० पै० की आय हुई।

जेल में व्यतीत हुई अवधि के अनुसार दंड-प्राप्त कैदियों की मृत्यु--संख्या

इस वर्ष मरने वाले दंड-प्राप्त-कैदियों में से २६ (९) अपनी भरती से ६ मास की अवधि के भीतर १९ (२१), छः मास और एक वर्ष की अवधि के भीतर १३ (१६), एक और दो वर्ष की अवधि के बीच में १० (८), दो और तीन वर्ष की अवधि के बीच में १३ (१२), तीन और सात वर्ष के अवधि के बीच में और १९ (३२) सात वर्ष की अवधि के उपरान्त मरे। नक्शा सं० १७

अध्याय ४

विविध

सं० सौ छूट प्रणाली--छूट प्रणाली के अधीन छोड़े गये दन्ड-प्राप्त कैदियों की संख्या १५,२९० (१४,१३६) थी।

इमारतें तथा अन्य निर्माण--कार्य

गत कुछ वर्षों से भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त करने में विभाग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस कारण से भवनों के निर्माण-कार्य में बाधा पड़ी। इन कठिनाइयों के होते हुये भी विभाग द्वारा भवनों, पानी की सप्लाई और बिजली आदि के सम्बन्ध में सराहनीय आवश्यक सुधार किये गये। इस दिशा में किये गये सुधारों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :--

जेल की इमारतें--सम्पूर्णानन्द शिविर, घुर्मा, जिला मिर्जापुर में पी० ए० सी० के सिपाहियों के रहने के लिये तीन बैरिकें बनाई गयीं। इस शिविर के अस्पताल और सहायक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में हाथ मुंह धोने के लिये वाशबेसिन लगाये गये। कैदियों से मिलाई करने वाले लोगों की धूप और वर्षा से रक्षा करने के लिये तीन जिला जेलों पर तीन मिलाई भवन बनाये गये। जिला कारागार, बलिया तथा देहरादून व किशोर सदन, बरेली के अस्पतालों की बैरिकों और रायबरेली व बाराबंकी जिला जेलों में कैदियों के रहने की बैरिकों की मरम्मत की गई। जिला कारागार, बिजनौर व रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ के कार्यालयों के भवनों की मरम्मत की गई और उनमें सुधार किया गया। केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में एक रसोईघर बनाया गया। केन्द्रीय कारागार, बरेली में एक ड्यूटी रूम का निर्माण किया गया। किशोर सदन, बरेली में एक बैरिक का निर्माण हुआ, प्रसार, परिवर्तन और उन्नति के साथ-साथ बैरकों में ईंटों की फर्श तथा पक्की बेंच बनाई गई व घुने हुये लट्ठों व बल्लियों को विभिन्न जेलों में बदला गया। रायबरेली कारागार की २६० फीट लम्बी मुख्य दीवार को पुनः बनाया गया। विभिन्न जेलों में विभाजक, सर्किल और घेरे की दीवारों में सुधार किया गया व उन्हें ऊंचा उठाया गया। विभिन्न जेलों पर कैदियों के रहने की १५ बैरकों को पुनः ए० सी० चद्दरों द्वारा छाया गया।

आर्यानगर सेटिलमेंट के २८ कमरों तथा बरामदों की छतों में पलस्तर किया गया तथा १६ कमरों व बरामदों में फर्श बनाई गई।

कर्मचारियों के क्वार्टर

विभिन्न जेलों पर वार्डरों के रहने के लिये ५० नये क्वार्टर बनाये गये तथा २१ अधिकारियों व १३ वार्डरों के क्वार्टरों की मरम्मत की गई। ९ अधिकारियों के क्वार्टरों और ७ वार्डरों के क्वार्टरों को पुनः ए० सी० चद्दरों से छाया गया।

गत वर्षों की भांति आलोच्य वर्ष में भी अधिक वर्षा और तूफान के कारण जेल इमारतों को काफी क्षति पहुंची। क्षतिग्रस्त भवनों की पूर्ण रूप से मरम्मत की गई। मथुरा, बिजनौर और मुरादाबाद की जेलों पर टूटी हुई मुख्य दीवारों को पुनः निर्मित किया गया।

जल तथा स्वच्छता की व्यवस्था

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के फार्म में सिंचाई के लिये ह्यूम पाइप बिछाये गये। कुछ जेलों पर पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकने के लिये कुंओं की बोरिंग की गई। केन्द्रीय कारागार, वाराणसी; जिला कारागार, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर और रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ में बिजली के मोटर पम्पों की मरम्मत की गयी। विभिन्न जेलों पर अधिकारियों के क्वार्टरों में नल लगाये गये।

विभिन्न कारागारों में अधीक्षकों के कार्यालयों से संलग्न शौचालयों में वाशबेसिन और यूरिनल लगाये गये।

विभिन्न जेलों के रात्रि के शौचालयों में पर्दे की दीवारों को उठाकर समुन्नत किया गया। सदर लाक अप गोरखपुर में म्युनिसिपेलिटी द्वारा पानी की सप्लाई किये जाने का प्रबन्ध किया गया।

बिजली का लगाया जाना

रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ के मुख्य द्वार पर बिजली लगाई गई। मिर्जापुर जेल के चिकित्सालय वार्ड में बिजली लगाई गई। लखनऊ तथा मेरठ जिला कारागारों के चिकित्सालय वार्ड में तथा मुजफ्फरनगर और मेरठ कारागारों के कार्यालयों में बिजली के पंखे लगाये गये। मेरठ कारागार के अधीक्षक व जेलर के निवास-स्थानों में भी पंखे लगाये गये।

प्रोबेशन का कार्य

आलोच्य वर्ष में यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट (ऐक्ट ६वां, सन् १९३८ ई०) पूर्ण रूप से राज्य के १८ जिलों अर्थात्, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी में लागू रहा। नवम्बर, सन् १९५८ में देहरादून में एक प्रोबेशन आफिसर की नियुक्ति की गई।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोबेशन अधिकारियों के पद के लिये चुने गये अभ्यर्थियों को लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल में तीन मास की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग दिये जाने वाले प्रोबेशन अधिकारियों में एक स्त्री प्रोबेशन आफिसर भी सम्मिलित थी। स्त्री प्रोबेशन अधिकारी की नियुक्ति स्त्री अपराधियों के हित में की गयी। सभी अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग समाप्त कर चुकने पर नवम्बर, १९५८ में सम्बन्धित जिलों में नियुक्त किया गया।

कानपुर और मेरठ में प्रसाररूप से चालू प्रोबेशन प्रणाली की सफलता को देखकर इसे जनवरी, १९५८ में इलाहाबाद में पूर्ण प्रसारित किया गया। अलीगढ़, वाराणसी और शाहजहांपुर में प्रोबेशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती दिखाई दी।

आलोच्य वर्ष में प्रोबेशन ऐक्ट (ऐक्ट ६वां, सन १९३८ ई०) की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कुल १,५९५ प्रोबेशनर्स अधिकारियों की देखरेख में रखे गये। कुल १८ जिलों में सन् १९५८ के अन्त तक कुल १,८०९ प्रोबेशनर्स के मामले प्रोबेशन अधिकारियों ने प्राप्त किये।

यू० पी० चिल्ड्रेन ऐक्ट, १९५१

आगरा और वाराणसी में, जहां पर सरकार ने चिल्ड्रेन ऐक्ट को प्रयोगार्थ चालू करने का निर्णय किया, के रिफार्मेशन अधिकारियों ने विभिन्न मुहल्लों की जनसंख्या की पड़ताल जारी रखी। इन पड़तालों का उद्देश्य बाल आवश्यकताओं का पता लगाना तथा बच्चों के खेल-कूद के केन्द्रों को संगठित करने के लिये सार्वजनिक जनता का ध्यान आकृष्ट करना था ताकि उनके कार्यों की ओर सामान्यतः ध्यान दिया जा सके।

वाराणसी में कार्य में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण एक तनहा रिफार्मेशन आफिसर को कार्य सम्पन्न करना कठिन हो गया, अतएव सरकार ने अक्तूबर, १९५८ में एक रिफार्मेशन आफिसर के दूसरे पद की व एक चपरासी के पदों की योजना की। वाराणसी और आगरा में ६१ मुहल्ला समितियां बनाई गईं। ३९ मनोरंजन एवम् निरीक्षण केन्द्रों को इन दोनों स्थानों पर समुन्नत कर संगठित किया गया, जहां पर ५,००० से अधिक बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं।

रिफार्मेशन आफिसरों ने इन जिलों के विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के अध्यक्षों से बराबर सम्पर्क बनाये रखा, ताकि वह अपने ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी आदत अपने दर्जे को छोड़कर भागने, दोपहर के सिनेमा देखने अथवा सड़क पर सिगरेट पीते हुये घूमने की हो, के ऊपर समुचित नियन्त्रण रख सकें। स्वतन्त्रता दिवस और बाल दिवस आदि अवसरों पर बच्चों के लिये मनोरंजक एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया गया। सर्वदा की भांति प्ले आर्गनाइजरों के संरक्षण में आगरा तथा वाराणसी की बाल सेवा समितियों के बच्चों को मुख्य ऐतिहासिक स्थानों और इमारतों को दिखाने का आयोजन किया गया।

आलोच्य वर्ष के मई मास में आगरा के रिफार्मेशन आफिसर को टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज, बम्बई (आयोजित कोर्स आनजुवेनाइल डिलिक्वेंसी) में विशेष अध्ययन के लिये दो सप्ताह के लिये भेजा गया।

इस वर्ष बाल अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले कार्यों का पुनरावलोकन करने के हेतु विभिन्न मुहल्ला बाल सेवा समितियों के अध्यक्षों व सेक्रेटरियों की एक सभा तत्कालीन सुरक्षा मंत्री श्री मुजफ्फर हुसेन की सदस्यता में वाराणसी में की गई। इस सभा ने यह निश्चय कर सिफारिश की कि आगरा तथा वाराणसी में प्रत्येक स्थान पर एक जिला बाल सेवा समिति को संगठित किया जाय, जो कि सब मुहल्ला सेवा समितियों के कार्य में समानता ला सके और एक नीति निर्धारित कर सके। सरकार इस विषय में विचार कर रही है।

कर्मचारी वर्ग

श्री सूर्यनारायण मेहरोत्रा, सहायक कारागार, उद्योग संचालक समस्त वर्ष कारागार संचालक के पद पर स्थानापन्न रहे।

जिला कारागारों के लिये दो पूर्ण सामयिक अधीक्षकों को बाहर से चुन कर लिया गया।

जेलों में वित्तीय तथा लेखाओं को सुचारु रूप से रखने के लिये एकाउन्टेन्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक प्रणाली चालू की गई। आठ एकाउन्टेन्टों के पदों की स्वीकृति आलोच्य वर्ष में दी गयी।

जेल ट्रेनिंग स्कूल

जेल ट्रेनिंग स्कूल में सर्वदा की भांति इस प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी गई।

यहां पर ट्रेनिंग के लिये आये हुये १४ अभ्यर्थियों में से २ पश्चिम बंगाल से, २ त्रिपुरा से तथा १ राजस्थान से आये थे। उत्तर प्रदेशीय जिला कारागारों के दो पूर्ण साम-यिक अधीक्षक अभ्यर्थियों ने भी शिक्षा प्राप्त की। २३ सहायक जेलरों, जिनमें एक राजस्थान से आया हुआ अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, ने भी शिक्षा प्राप्त की। इनके अतिरिक्त ७८ वार्डर भी प्रशिक्षण के लिये भेजे गये।

प्रधान कार्यालय--बढ़े हुये कार्य की पूर्ति के लिये प्रधान कार्यालय के स्थायी व अस्थायी अमले में वृद्धि की गई।

सामान्य

यदि जेल में बन्दियों के प्रति किये गये व्यावहारिक सुधारों के आधार पर उनसे इस बात का आश्वासन प्राप्त हो कि वह छुटकारे के बाद नियमानुसार विधिवत् जीवन निर्वाह करेंगे तो इस प्रकार बहुत कुछ देश के हित की रक्षा हो सकती है। इसी लक्ष को लेकर जेलों में बन्दियों के साथ बर्ताव किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन पैरोल और बन्दियों के साथ खुले वातावरण में रखकर बर्ताव किया जाना सफलतापूर्वक चलता रहा। खुले शिविरों में रखने की प्रणाली द्वारा बन्दियों में अपने लोगों और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत कर दी है।

केन्द्रीय कारागारों में अच्छे चाल-चलन के बन्दियों को ग्रीष्म ऋतु में बाहर सोने की अनुमति दी गई है।

रविवार और अन्य जेल छुट्टियों के अवसरों पर तथा अन्य कार्य दिवसों में शाम के वक्त बन्दियों को साधारण खेलों को खेलने तथा मनोरंजन आदि की सुविधा दी गई, पर प्रतिबन्ध यह रखा गया कि नियमित जेल-कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पड़ने पावे।

उन अविवाहित स्त्री बन्दियों, जो छूटने पर शादी करना चाहती हों, की शादी कराने व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सहायता दिलाने के लिये उनसे सम्पर्क करने की अनुमति दी गई।

दो और आटा पीसने वाली बिजली की चक्कियां मेरठ और फैजाबाद जेलों में लगाई गईं। अम्बर चर्खे द्वारा सूत की कताई व खादी की बुनाई की प्रणाली को प्रसारित करने के लिये आठ अम्बर चर्खा शिक्षकों के अस्थायी पदों की क्रमशः नैनी, बरेली, वाराणसी व फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागारों तथा आगरा, लखनऊ और सीतापुर जिला जेलों के लिये स्वीकृति दी गई।

डा० अम्बासरन राजा, उप प्रधान कारागार निरीक्षक को टाटा इन्स्टीटयट आफ सोशल साइन्सेज, बम्बई द्वारा आयोजित प्रोबेशन के विशेष पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये भेजा गया और वह वहां १५ दिसम्बर से २८ दिसम्बर, १९५८ तक रहे।

२१ दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५८ तक टाटा इन्स्टीट्यूट, बम्बई में होने वाले प्रोबेशन के सेमीनार में भी डा० राज तथा श्री आर० एस० रस्तोगी, प्रिंसिपल, जेल ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ ने राज्य प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया।

समाज कल्याण विभाग ने कानपुर में एक गृह उन व्यक्तियों को रखने के लिये, जो सुधारक संस्थाओं से मुक्त हुये हों, खोला है। ऐसे मुक्त बन्दी, जिनके कि भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है अथवा जो सामाजिक अवहेलना के कारण अपने घर नहीं जा सकते हैं, उन्हें इस संस्था में आश्रय दिया जाता है और इस संस्था द्वारा उनके पुनर्वासन का प्रयास किया जाता है।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित आवश्यक सुधार किये गये:—

(१) केन्द्रीय कारागारों व प्रथम श्रेणी के कारागारों में प्रचलित प्रतिदिन की भेंट की प्रणाली को १ जनवरी, १९५८ से समस्त कारागारों में लागू कर दिया गया। जेल अधीक्षक इस भेंट के समय को भेंट करने वालों तथा कारागार कर्मचारियों की सुविधानुसार निश्चित करता है तथा भेंट करने वालों के सूचनार्थ उसे हिन्दी और उर्दू में जेल के फाटक के बाहर विज्ञप्त कर देता है। भेंट करने वालों को अधिकांशतः रविवार ही उपयुक्त पड़ता है, अतः रविवार को भी भेंट करने की अनुमति है तथापि शनिवार और अन्य जेल छुट्टियों के दिन भेंट नहीं कराई जाती है।

(२) कारागारों में बन्दियों से भेंट करने के समय को २० मिनट से बढ़ा कर ३० मिनट कर दिया गया है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दिन कारागार में मिलने वालों की संख्या २०० से अधिक हो जाती है तो इस समय को पूर्व की भांति २० मिनट तक ही सीमित रखा जाता है।

(३) सरकार ने आदेश दिया है कि शिविर बन्दियों द्वारा उपार्जित की गई छूट को उनके बन्द कारागारों में वापस आने पर काटा न जाय, यदि शिविर से जेलों में लौटकर आना उन बातों पर आधारित हो जो उनकी शक्ति के बाहर हो, न कि उनके चरित्र की खराबी और काम न करने पर आधारित हो।

(४) यह भी निश्चित किया गया है कि ऐसे बन्दी, जो इस राज्य में दण्डित हुये हैं, यदि किसी गवाही या अन्य अपराध के उत्तर देने हेतु 'ए' एवं 'सी' राज्यों में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किये जायं, तो उस सारे काल को, जो वह वहां की जेलों में काटेंगे, उसकी गणना उनके मौलिक दंड की अवधि में की जायेगी जो इस राज्य द्वारा दी गई हो।

(५) यह भी आदेश दिया गया है कि उन सभी नियमों की, जिनके द्वारा दंड-अवधि समाप्त होने से पूर्व मुक्ति दी जा सकती है की एक हिन्दी प्रति बन्दी को जेल भरती के समय ही दे दी जाय तथा एक प्रति हर बैरेक के दरवाजे पर लटका दी जाय।

(६) यह भी आदेश दिये गये हैं कि जमानतदारों, जिन्हें कि सी० आर० पी० सी० १८९८ की धारा ५१४(बी) के अन्तर्गत जेल भेजा गया हो, उनके खाने और वस्त्रों के ऊपर किये गये खर्चे का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार पर होगा और उनके खर्चे का व्योरा भी उसी मद में होगा, जिसमें कि अन्य सभी बन्दियों का व्यय दिखाया जाता है।

(७) यह भी निर्णय किया गया कि उन कैदियों को, जिनकी शिनाख्त न हुयी हो, उन्हें अन्य लोगों की शिनाख्त करने के लिये की जाने वाली परेड में शामिल न किया जाय।

आपका विश्वासपात्र,
चन्द्रिका प्रसाद टंडन,
प्रधान कारागार निरीक्षक।

१९५८ ई० की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये नक्शों की विषय-सूची